कक्षा–6–10 में पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्वप्राथमिक तथा कक्षा 1–5 तक शिक्षण के लिए हाई स्कूल जे0टी0सी0, बी0टी0सी0,एच0टी0सी0 तथा इण्टर के साथ सी0टी0, जे0टी0सी0,बी0टी0सी0 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

2. वेतन तथा सेवा शर्ते–

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्ते बनायी जायेगी जिनमे परिवीक्षा काल,स्थायी करण तथा दण्ड के सम्बन्ध मे विधि सम्मत प्रकिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है इसके साथ ही अवकाश नियम, पेन्शन, ग्रेचूटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।सेवा शर्ते–समता,समानता,धर्म, जाति,भाषा,लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियो को समय--समय पर दिये जाते है किन्तु किसी कारण वश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो अनापत्ति वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, सुलतापुर।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को विद्यालय के मूल प्रस्ताव/पत्रावली के साथ प्रेषित।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर।
6– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0.प्र0 लखनऊ।
7– प्रबन्धक, अलफारूक पब्लिक स्कूल, कर्पी हजमापुर पठान, सुल्तानपुर।

Principal
Al Farooq Public School
Karpi, Hamzapur Pathan, Sultanpur

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

दिनांक 22-11-10

संख्या–आर0ए0प्रथम/सताइस–1(2009–10) 214

प्रेषक,

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रति बिहार, नई दिल्ली।

विषयः– **अलफारूक पब्लिक स्कूल, कर्पी हजमापुर पठान, सुलतानपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।**

महोदय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा प्रेषित अलफारूक पब्लिक स्कूल, कर्पी हजमापुर पठान, सुलतानपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007, दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री ऐजूकेशन नई दिल्ली/कौन्सिल फार दी इन्डियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड़0) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

(च) कर्मचारियो की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक अन्तर्गत दिये परिशिष्ट–3 के कम–5,6 जो निम्नवत् है:–

1. शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता–

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियो की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथा स्थिति कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेड्री एजूकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा–12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालर्य से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होगे।

कक्षा–10 तक के प्रधानाध्यपक किसी मान्या प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होगे। कक्षा–11–12 पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होगें जिसमें